

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: २७९०/१२-१

दिनांक ०१/०४/२०२४

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर।

सी.संख्या ९५०
फाइल न० ३३८
दिनांक २५/०४/२४

विषय :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल चौडियों से बारगुरु होते हुये मैसकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.७८५ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। Online proposal no- FP/UK/ROAD/30646/2017

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक सं०-०८डी०/यू०सी०पी०/०६/६८/२०१८/एफ०सी०/ १५०० दिनांक २७.०२.२०२४ एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक १९०६/१२-१ दिनांक ०२.०३.२०२४।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार के द्वारा ई०डी०एस० जारी करते हुए अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल के माध्यम से एवं मूल प्रति सहित उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। वांछित बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. KML file of CA area shall be uploaded/ submitted.
2. The CA area i.e. Village- Doblu, Patti-Chandrabadni, Devprayag, Tehri Garhwal, khata No-13/22, khasra No- 617,566 total area- 3.570 has been mutated in favour of State Forest Department. A copy of same is required to be submitted.
3. As per guideline, prior to Stage-II approval, notification of CA area as Reserve Forest/Protected Forest is required to ensured and copy of the notification shall be submitted/provided.
4. State Government shall submit the point wise compliance report of stage-I approval.
5. State Government shall prepare NPV calculation sheet as per para 3.3 (b) of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules 2023 and the User Agency shall pay the same in CAMPA fund. उक्त बिंदु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति वर्ष २०१८ में प्राप्त हुई है, प्रस्ताव को ०५ वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी, जिसके फलस्वरूप संशोधित नई दरों से निर्धारित अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि जमा की जानी होगी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

ईको क्लास	क्षेत्रफल (हे० में)	Stage-I तिथि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन०पी०वी० धनराशि का विवरण (रु० में)			वर्तमान में निर्धारित नई दरानुसार एन०पी०वी० धनराशि का आंकलन (रु० में)			जमा किये जाने वाली अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि (रु० में)
			औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	
V	1.785	14-11-2018	0.10	6,57,000	11,72,745	0.10	10,05,210	17,94,300	6,21,555

अतः उपरोक्तानुसार वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना हेतु वांछित दस्तावेज यथा-डिजिटल मानचित्र, टोपोग्राफी, अमलदरामद आदेश, भूमि कब्जे में लेने सम्बंधी प्रमाण पत्र आदि की प्रति परिवेश पोर्टल पर एवं मूल प्रति सहित ०५ प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये, ताकि प्रस्ताव पर अग्रतः कार्यवाही की जा सके।

(२) श्री फंक्शन (२०२०)

25/4/2024

25/4/2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।